



सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट
भाग-4, खण्ड (ख)
(परिनियत आदेश)

लखनऊ, सोमवार, 8 सितम्बर, 2008

भाद्रपद 17, शक सम्बत्, 1930

उत्तर प्रदेश सरकार
पर्यावरण अनुभाग

संख्या 3406/55-पर्या-2008-256(पर्या)-2001

लखनऊ 08 सितम्बर, 2008

अधिसूचना

प0आ0 - 658

जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 (अधिनियम संख्या 6 सन् 1974) की धारा 64 के अधीन शक्ति का प्रयोग करके, राज्यपाल उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से परामर्श करने के पश्चात् उत्तर प्रदेश जल (मल और व्यावसायिक बहिःस्राव निस्तारण के लिए सहमति) नियमावली, 1981 को संशोधित करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं:-

उत्तर प्रदेश जल (मल और व्यावसायिक बहिःस्राव निस्तारण के लिए सहमति)
(प्रथम संशोधन) नियमावली, 2008

1-(1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश जल (मल और व्यावसायिक बहिःस्राव निस्तारण के लिए सहमति) (प्रथम संशोधन) नियमावली, 2008 कही जाएगी।

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

(2) यह गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से प्रवृत्त होगी।

2-उत्तर प्रदेश जल (मल और व्यावसायिक बहिःस्राव निस्तारण के लिए सहमति) नियमावली, 1981 में अनुसूची -एक में,

नियम 4 की अनुसूची एक का संशोधन

(क) नीचे दिये गये स्तम्भ-1 में दिये गये मद के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिये गये मद रख दिये जाएंगे, अर्थात्:-

अनुसूची- एक

(नियम-4 देखिए)

स्तम्भ-1

विद्यमान मद

क- उद्योग

स्तम्भ-2

एतद्वारा प्रतिस्थापित मद

1. आरम्भिक फीस	रु०	क्रमांक	पूंजीगत निवेश	(धनराशि लाख रुपये में)	
				आरम्भिक शुल्क	नवीनीकरण शुल्क
(क) उद्योग जिसमें 5 करोड़ रुपये से अधिक का विनियोजन हो	15000	1	रु० 10,000 करोड़ से अधिक	10	5
(ख) उद्योग जिसमें 1 करोड़ रुपये से अधिक किन्तु 5 करोड़ रुपये तक का विनियोजन हो	7000	2	रु० 5000 करोड़ से अधिक रु० 10,000 करोड़ तक	5.0	2.5
(ग) उद्योग जिसमें 50 लाख रुपये से अधिक किन्तु 1 करोड़ रुपये तक का विनियोजन हो	3500	3	रु० 1000 करोड़ से अधिक रु० 5,000 करोड़ तक	2.5	1.25
(घ) उद्योग जिसमें 10 लाख रुपये से अधिक किन्तु 50 लाख रुपये तक का विनियोजन हो	1000	4	रु० 500 करोड़ से अधिक रु० 1000 करोड़ तक	1.5	0.75
(ङ) उद्योग जिसमें 1 लाख रुपये से अधिक किन्तु 10 लाख रुपये तक का विनियोजन हो	500	5	रु० 100 करोड़ से अधिक रु० 500 करोड़ तक	1.0	0.50
(च) उद्योग जिसमें 1 लाख रुपये तक का विनियोजन हो	50	6	रु० 50 करोड़ से अधिक रु० 100 करोड़ तक	0.75	0.35
2. वार्षिक नवीनीकरण फीस:-		7	रु० 10 करोड़ से अधिक रु० 50 करोड़ तक	0.50	0.25
(क) उद्योग जिसमें 5 करोड़ रुपये से अधिक का विनियोजन हो	5000	8	रु० 1 करोड़ से अधिक रु० 10 करोड़ तक	0.20	0.10
(ख) उद्योग जिसमें 1 करोड़ रुपये से अधिक किन्तु 5 करोड़ रुपये तक का विनियोजन हो	2500	9	रु० 50 लाख से अधिक रु० 1 करोड़ तक	0.050	0.025
(ग) उद्योग जिसमें 50 लाख रुपये से अधिक किन्तु 1 करोड़ रुपये तक का विनियोजन हो	1000	10	रु० 10 लाख से अधिक रु० 50 लाख तक	0.015	0.0075
(घ) उद्योग जिसमें 10 लाख रुपये से अधिक किन्तु 50 लाख रुपये तक का विनियोजन हो	500	11 क	रु० 1 लाख से रु० 10 लाख तक	0.005	0.0025
(ङ) उद्योग जिसमें 1 लाख रुपये से अधिक किन्तु 10 लाख रुपये तक का विनियोजन हो	250	ख	रु० 1 लाख कम	0.0005	0.000
(च) उद्योग जिसमें 1 लाख रुपये तक का विनियोजन हो	10				

(ख) नीचे स्तम्भ-1 में दिये मद ख के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिये गये मद रख दिये जाएंगे, अर्थात् :-

ख - स्थानीय निकाय

विद्यमान मद स्तम्भ-1 स्थानीय निकाय		₹0सं०	एतद्वारा प्रतिस्थापित मद स्तम्भ-2 स्थानीय निकाय		(धनराशि लाख रुपये में)	
आरम्भिक और वार्षिक नवीनीकरण फीस :-	₹0		आरम्भिक शुल्क	नवीनीकरण शुल्क		
(क) नगरपालिका निगम	4000	(क) नगर निगम	0.20	0.10		
(ख) वर्ग "क" नगरपालिका	2000	(ख) वर्ग "क" नगरपालिका	0.10	0.05		
(ग) वर्ग "ख" नगरपालिका	1000	(ग) वर्ग "ख" नगरपालिका	0.05	0.025		
(घ) वर्ग "ग" नगरपालिका	500	(घ) वर्ग "ग" नगरपालिका	0.03	0.015		
(ङ) टाउन एरिया कमेटी और नोटीफाइड एरिया कमेटी	250	(ङ) टाउन एरिया कमेटी और नोटीफाइड एरिया कमेटी	0.01	0.005		

(ग) मद 'ख' के पश्चात निम्नलिखित मद बढ़ा दी जाएगी, अर्थात् :-

ग-स्थापना से पूर्व प्राप्त की जाने वाली पूर्व सहमति हेतु आवेदन के साथ भुगतान किया जाने वाला शुल्क

(धनराशि लाख रुपये में)

क्रमांक	पूंजीगत निवेश	शुल्क
1	₹0 10,000 करोड़ से अधिक	5.00
2	₹0 5000 करोड़ से अधिक ₹0 10,000 करोड़ तक	2.50
3	₹0 1000 करोड़ से अधिक ₹0 5,000 करोड़ तक	1.25
4	₹0 500 करोड़ से अधिक ₹0 1000 करोड़ तक	0.75
5	₹0 100 करोड़ से अधिक ₹0 500 करोड़ तक	0.50
6	₹0 50 करोड़ से अधिक ₹0 100 करोड़ तक	0.37
7	₹0 10 करोड़ से अधिक ₹0 50 करोड़ तक	0.25
8	₹0 1 करोड़ से अधिक ₹0 10 करोड़ तक	0.10
9	₹0 50 लाख से अधिक ₹0 1 करोड़ तक	0.030
10	₹0 10 लाख से ₹0 50 लाख तक	0.015
11	₹0 10 लाख से कम	0.005

आज्ञा से,
एस० आर० लाखा,
प्रमुख सचिव।

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 3406/LV-Parya-2008-256 (Parya)-2001, dated September 8, 2008:

No. 3406/LV-Parya-2008-256(Parya)-2001

Dated Lucknow, September 8, 2008

IN exercise of the powers under section 64 of the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974 (Act no. 6 of 1974), the Governor, after consultation with the Uttar Pradesh Pollution Control Board, is pleased to make the following rules with a view to amending the Uttar Pradesh Water (Consent for discharge of sewage and trade effluents) Rules, 1981.

THE UTTAR PRADESH WATER (CONSENT FOR DISCHARGE OF SEWAGE AND TRADE EFFLUENTS) (FIRST AMENDMENT) RULES, 2008

Short title and commencement

1. (1) These rules may be called the Uttar Pradesh Water (Consent for discharge of sewage and trade effluents) (First Amendment) Rules, 2008

(2) They shall come into force with effect from the date of their publication in the *Gazette*.

Amendment of the Schedule-I of rule 4

2. In the Uttar Pradesh Water (Consent for Discharge of Sewage and Trade Effluents) Rules, 1981 in Shedule-I,

(a) for the article set out in Column-1 below the article as set out in Column-2 shall be *substituted*, namely:-

SCHEDULE -I

(See Rule 4)

A- Industries	COLUMN-1		COLUMN-2		
	Existing Article		Article as hereby substituted		
1. Initial Fees:	Rs.	Sl.no.	Capital Investment	(Amount in Lakh Rs.)	
				Initial Fees	Annual Renewal Fees
(a) Industries having an investment of more than Rs. 5 crore	15,000.00	1	More than Rs. 10,000 crores	10	5
(b) Industries having an investment of more than Rs. 1 crore but up to Rs. 5 crore	7,000.00	2	More than Rs. 5000 crores up to Rs. 10,000 crores	5.0	2.5
(c) Industries having an investment of more than Rs.50 lakhs but up to Rs.1 crore	3,500.00	3	More than Rs. 1000 crores up to Rs. 5000 crores	2.5	1.25
(d) Industries having an investment of more than Rs.10 lakhs but up to Rs.50 lakhs	1,000.00	4	More than Rs: 500 crores up to Rs. 1000 crores	1.5	0.75
(e) Industries having an investment of more than Rs. 1 lakh but up to Rs. 10 lakhs	500.00	5	More than Rs. 100 crores up to Rs. 500 crores	1.0	0.50
(f) Industries having an investment up to Rs. 1 lakh	50.00	6	More than Rs. 50 crores up to Rs. 100 crores	0.75	0.35

<u>COLUMN-1</u>		<u>COLUMN-2</u>			
<i>Existing Article</i>		<i>Article as hereby substituted</i>			
2. Annual Renewal Fees :		Capital Investment	(Amount in Lakh Rs.)		
Rs.	Sl.no.		Initial Fees	Annual Renewal Fees	
(a) Industries having an investment of more than Rs. 5 crore	5,000.00	7	More than Rs. 10 crores up to Rs. 50 crores	0.50	0.25
(b) Industries having an investment of more than Rs. 1 crore but up to Rs.5 crore	2,500.00	8	More than Rs. 1 crore up to Rs. 10 crores	0.20	0.10
(c) Industries having an investment of more than Rs.50 lakhs but up to Rs.1 crore	1,000.00	9	More than Rs. 50 lakh up to Rs. 1 crore	0.050	0.025
(d) Industries having an investment of more than Rs.10 lakhs but up to Rs.50 lakhs	500.00	10	More than Rs. 10 lakh up to Rs. 50 lakh	0.015	0.0075
(e) Industries having an investment of more than Rs. 1 lakh but up to Rs. 10 lakhs	250.00	11 A	Rs. 1 lakh up to Rs. 10 lakh	0.005	0.0025
(f) Industries having an investment up to Rs. 1 lakh	10.00	B	Less than Rs. 1 lakh	0.0005	0.0001

(b) for article B set out in Column-1 below the article as set out in Column-2 shall be *substituted*, namely:-

B- Local bodies -

<u>COLUMN-1</u>		<u>COLUMN-2</u>		
<u>Existing article</u>		<u>Article as hereby substituted</u>		
B- Local bodies		Local bodies	(Amount in Lakh Rs)	
Initial as well as Annual Renewal Fees:	Rs.		Initial Fees	Renewal Fees
(a) Municipal Corporation	4,000.00	(a) Municipal Corporation	0.20	0.10
(b) Class 'A' Municipality	2,000.00	(b) Class 'A' Municipality	0.10	0.05
(c) Class 'B' Municipality	1,000.00	(c) Class 'B' Municipality	0.05	0.025
(d) Class 'C' Municipality	500.00	(d) Class 'C' Municipality	0.03	0.015
(e) Town Area Committee and Notified Area Committee	250.00	(e) Town Area Committee and Notified Area Committee	0.01	0.005

(c) After article "B" the following article shall be *inserted*, namely :-

C- Fee to be paid along with application for obtaining prior consent before establishment:-

(Amount in Lakh Rs.)

Sl.no.	Capital Investment	Fees
1	More than Rs. 10,000 crores	5.00
2	More than Rs. 5000 crores up to Rs. 10,000 crores	2.50
3	More than Rs. 1000 crores up to Rs. 5000 crores	1.25
4	More than Rs. 500 crores up to Rs. 1000 crores	0.75
5	More than Rs. 100 crores up to Rs. 500 crores	0.50
6	More than Rs. 50 crores up to Rs. 100 crores	0.37
7	More than Rs. 10 crores up to Rs. 50 crores	0.25
8	More than Rs. 1 crore up to Rs. 10 crores	0.10
9	More than Rs. 50 lakhs up to Rs. 1 crore	0.030
10	Rs. 10 lakhs up to Rs. 50 lakhs	0.015
11	Less than Rs. 10 lakhs	0.005

By order,
S.R. LAKHA,
Pramukh Sachiv.

पी०एस०यू०पी०-ए०पी० 555 राजपत्र-(हिन्दी)-(1197)-2008-597 प्रतियां-(क०/टी०/आ०)।

पी०एस०यू०पी०-ए०पी० 2 सा० पर्यावरण-(1198)-2008-1000 प्रतियां-(क०/टी०/आ०)।